न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 87

अनवान

1. श्री किशन लाल पुत्र देवी लाल कलाल निवासी देवली(राजोला) खैरावाद–तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति संतोषी देवी पत्नि श्री राजकुमार कलाल पुत्र श्री सुवा लाल कलाल देवली(राजोला) खैराबाद तह हमीरगढ।
2. श्री रतन लाल पिता प्रभु लाल कलाल नि.देवली(राजोला) खैरावाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री गणतप पिता प्रभु लाल कलाल नि. देवीली(राजोला) खैरावाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री मुकेश पिता श्री प्रभु लाल कलाल नि. देवली (राजोला) खैरावाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 04–02–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 19.11.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 55 की कृषि भूमि की आ.न. 626/3 रकबा 0.4932 है0 कुल किता 01 रकबा 0.4932 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.11.2020 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 लगायत 1,3,5 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 2,4 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 2,4 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 2,4 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 1100 की कृषि भूमि की आ.न. 2866 रकबा 0.1012 आ.न. 2867 रकबा 0.1770 है0 आ.न. 2868 रकबा 0.6702 है0 आ.न. 2882 रकबा 1.0748 है0 आ.न. 2883 रकबा 0.0632 है0 आ.न. 2884 रकबा 0.2276 है0 कुल किता 06 रकबा 2.3140 है0 एवं आ.न. 2869 रकबा 0.4046 है0 आ.न. 2879 रकबा 0. 5690 है0 कुल किता 02 रकबा 0.9736** [illegible] राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जा[illegible]नुसार निर्धारित शुल्क 300/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, [illegible] अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा [illegible] प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:35:51 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner